इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर 2016—अग्रहायण 7, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. एफ 11-09-2016-एक-9.—प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा. इस प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तर्गत एक अध्यक्ष, दो सदस्यों की नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी:—

आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति.—1. आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की जावेगी.

2. अध्यक्ष के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति जो राज्य शासन के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहा हो या सार्वजनिक जीवन में जिसे 20 वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव हो, को नियुक्त किया जा सकेगा.

आयोग के सदस्यों की नियुक्ति.—1. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य शासन द्वारा की जावेगी.

2. सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति को जिसने पर्याप्त प्रशासनिक सेवा की हो तथा जिसे राज्य शासन के द्वारा बनाये नियमों का ज्ञान हो, को प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा.

3. आयोग का दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे वित्तीय/न्यायिक मामलों का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो.

सदस्य सचिव के रूप में तत्कालीन/तत्समय में पदस्थ सचिव/प्रमुख सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे.

आयोग का कार्य.—1. आयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली प्रचलित नियमों/उप नियमों आदि का अध्ययन करेगा तथा नागरिकों को सहज, सुलभ एवं बेहतर सुशासन देने के लिए कार्य प्रणाली में सुधार की अनुशंसाएं करेगा.

आयोग भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं का अध्ययन करते हुए राज्य की शासन की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार द्वार गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई अनुशंसाएं जो मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रासंगिक तथा लागू करने योग्य है तथा अब तक राज्य शासन पर लागू नहीं की जा सकी है, पर विचार-विमर्श करते हुए उसे प्रदेश में लागू करने के संबंध में भी अपनी अनुशंसाएं शासन को प्रस्तुत करेगा.

2. ई-गर्वेनेंस के बेहतर उपयोग के संबंध में अन्य राज्यों में लागू की गई कार्य व्यवस्था को भी राज्य शासन में अपनाने के संबंध में अपने सुझाव देगा.

3. आपदा प्रबंधन के संबंध में परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए इसे और अधिक मजबूत करने के लिए सुझाव देगा.

4. कार्मिक प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में पदों की उपलब्धता तथा उनके औचित्य पर विचार-विमर्श करते हुए ढॉचागत सुधारों को लागू करने की अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा.

5. देश में जी.एस.टी. के लागू होने के बाद की परिस्थितियों में प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के विषय में सुझाव देगा.

6. जिला, तहसील, विकासखण्ड, तथा ग्राम स्तर पर बेहतर प्रशासन सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान व्यवस्था का पुनरावलोकन के सुझाव प्रस्तुत करेगा.

7. लोक सेवा प्रबंधन के अन्तर्गत लोक सेवा गारंटी तथा जनशिकायत की प्रणाली को और बेहतर करने के लिए अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.

8. पुलिस/आंतरिक सुरक्षा के विषय पर विचार करेगा, पुलिस व्यवस्था को सशक्त कारगर तथा और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिये अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा.

9. संघीय ढॉचे में राज्य शासन की स्थिति को सशक्त करने के विषय में सुझाव प्रस्तुत करेगा.

10. जिलों में गठन के संबंध में प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार करते हुए जिलों में प्रशासनिक सुदृढ़ता लाने के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा.

अपनी अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श करते हुए आयोग सभी संबंधित विभागों से विचार-विमर्श करेगा. आयोग के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने गठन के 18 माह में अपनी प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी. 24 माह में आयोग अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा. आवश्यकता पड़ने पर आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.